

न्यायालय :- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर

दीवानी विविध प्रकरण संख्या :- 02/18 सी.आई.एस. नं. (02/18)
पीठासीन अधिकारी :- श्री विजय कोचर, आर.जे.एस.

भीकाराम पुत्र श्री संग्रामराम, जाति नायक, आयु 60 वर्ष, निवासी ग्राम खोडवा ग्राम
पंचायत बेरावास तहसील खींवसर जिला नागौर।

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर नागौर।
2. तहसीलदार, कार्यालय तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2

सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :-

1. श्री पीर मोहम्मद खान, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
2. अपर लोक अभियोजक, अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं. 1 व 2।

आदेश

दिनांक—01.11.2018

1. हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी जाहिर करता है कि वह ग्राम खोडवा ग्राम पंचायत बेरावास तहसील खींवसर जिला नागौर का स्थायी निवासी है तथा ग्राम खोडवा में खसरा नं. 86, जो कि आबादी भूमि है, में प्रार्थी के पूर्वजों के समय से उसके कब्जासुदा स्वामित्व सुदा उपयोग—उपभोग की अचल सम्पत्ति मकान बना हुआ है जिसमें प्रार्थी के पूर्वजों के समय से ही कमरों आदि का निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी ने प्रकरण में विवादित इस मकान के अडौस—पडौस एवं नाप—चौप प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 में अंकित किये हैं।
2. आगे प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने विवादित मकान में लम्बे समय से निवास करने के संबंध में विस्तृत अभिकथन करते हुए जाहिर किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 05.12.2017 को गलत तथ्यों पर प्रार्थी को एक नोटिस प्रेषित कर जाहिर किया कि वर्ष 2016—17 में पटवारी हल्का ताडावास ने प्रार्थी के विरुद्ध मौजा खोडवा के खसरा नंबर 86 किस्म गैर मुमकीन गोचर भूमि पर कब्जा/मकान/बाडा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस पर उसे विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया एवं उसके पश्चात् बेदखली के आदेश जारी कर उसे

अपना अतिक्रमण हटाने का पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन उसने इसके बावजूद अपना अतिक्रमण हटाकर सरकारी भूमि को खाली नहीं किया है तथा यदि प्रार्थी नोटिस मिलने के बावजूद अपने निर्माणात को नहीं हटायेगा तो बलपूर्वक हटा दिया जाएगा।

3. प्रार्थी के अनुसार उसके पास ग्राम खोडवा में वादग्रस्त मकान के अतिरिक्त कोई अन्य मकान नहीं है तथा दावा पेश करने के 2-3 दिन पूर्व अप्रार्थीगण के कर्मचारियों ने मौके पर आकर प्रार्थी को मौखिक रूप से यह धमकी दी है कि यदि प्रार्थी वादग्रस्त स्थल से अपना कब्जा एवं सामान नहीं हटायेगा तो वे पुलिस बल, जेसीबी मशीनें लाकर उसके मकान को तोड़ देंगे।

4. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में आगे यह अभिकथन किया गया है कि उसकी भूमि के खसरा नंबर 86 जिसके बट्टा नंबर 86/387 है, तथा यह भूमि गोचर नहीं होकर अप्रार्थीगण के द्वारा तैयार राजस्व रिकॉर्ड में भी आबादी भूमि के रूप में दर्ज है, परंतु इसके बावजूद अप्रार्थीगण इस भूमि को गलत रूप से गोचर भूमि होना बताकर इस पर बने प्रार्थी के मकान को गलत रूप से तोड़ने पर आमादा है।

5. अपने प्रार्थना पत्र में आगे प्रार्थी कई दस्तावेजात के हवाले से यह जाहिर करने का प्रयास कर रहा है कि वह वादग्रस्त भू-भाग पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज है। प्रार्थी के अनुसार ग्राम पंचायत बेरावास तहसील खीवसर जिला नागौर के सरपंच ने भी इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया है कि प्रार्थी के पास कोई अन्य मकान नहीं है तथा उसका पक्का मकान बना हुआ है जिसमें वह काफी समय से निवास कर रहा है।

6. अपने प्रार्थना पत्र में किये गये उक्त आशय के अभिकथनों के आधार पर प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहता है कि वह ताफैसला वाद प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में अंकित विवादित मकान से प्रार्थी को बेदखल न करें एवं ना ही प्रार्थी के मकान वगैरा के निर्माण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें।

7. अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी भीकाराम ने ग्राम पंचायत से मकान निर्माण हेतु दी गई वित्तीय सहायता से संबंधित दस्तावेज की प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत बेरावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 29.12.17 की प्रति, खसरा नं. 86 के वर्ष 2004-05 के पी-14 की प्रति जिसमें प्रार्थी के मकान, बाड़े का अंकन किया

हुआ है, प्रार्थी के निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां जिनमें प्रार्थी को ग्राम खोडवा का निवासी होना बताया गया एवं विवादित स्थल की रंगीन फोटो आदि दस्तावेजात पेश किये हैं।

8. अप्रार्थीगण की ओर से औपचारिक रूप से प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है, परंतु विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दिनांक 04.11.18 को खसरा नं. 86 रकबा 45 बीघा 16 बिस्वा की खतौनी पेश की है।

9. प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में यह तर्क दिया कि यद्यपि खसरा नं. 86 गोचर भूमि के रूप में दर्ज है, परंतु खसरा नं. 86 का एक अन्य भू-भाग खसरा नं. 86/387 मौजा खोडवा तहसील खींवसर गैर मुमकीन आबादी के रूप में दर्ज है तथा प्रार्थी का मकान इसी गैर मुमकीन आबादी में बना हुआ है एवं इसके बावजूद अप्रार्थीगण बिना कोई नाप-चौप किये गलत तरीके से प्रार्थी के मकान को खसरा नं. 86 गैर मुमकीन गोचर में स्थित होना बता रहे हैं। आगे विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह तर्क भी दिया है कि खसरा नं. 86 गैर मुमकीन गोचर की जमाबंदी में भी पूर्व में प्रार्थी का नाम अंकित रहा है एवं इसमें प्रार्थी के मकान बाड़े इत्यादि का अंकन किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अब्दुल रहमान के मामले में पारित निर्णय के संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने डायरेक्टर जनरल रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय (756 आर.आर.डी. 2011) पेश करते हुए यह तर्क दिया है कि अब्दुल रहमान के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय भूमि के वास्तविक उपयोग अथवा प्रकृति के संदर्भ में ही देखा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह तर्क दिया कि यदि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि के गैर मुमकीन गोचर के रूप में दर्ज होते हुए भूमि का आवासीय उपयोग किया जा रहा है तो उन परिस्थितियों में ऐसी भूमि अब्दुल रहमान के मामले में पारित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की जद में नहीं आती।

10. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 86 गैर मुमकीन गोचर की भूमि है तथा यह भूमि अब्दुल रहमान के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय की वजह से प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है तथा

अप्रार्थीगण को प्रार्थी के निर्माणात को हटाने का अधिकार है।

11. वकुलाय की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में दो प्रश्न मुख्य विवादित प्रश्नों के तौर पर सामने आते हैं, पहला यह है कि क्या विवादित भू-भाग खसरा नं. 86 गैर मुमकीन गोचर में स्थित है अथवा प्रार्थी के कथनानुसार यह भू-भाग खसरा नं. 86/387 गैर मुमकीन आबादी का भू-भाग है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अब्दुल रहमान के मामले में दिया गया निर्णय हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों पर चस्पा होते हुए अप्रार्थीगण को प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाने का अधिकार देता है। इन प्रश्नों के संदर्भ में यदि प्रकरण की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखे तो पत्रावली में पेश दस्तावेजात, वादग्रस्त स्थल पर बने मकान आदि के रंगीन फोटोग्राफ्स एवं ग्राम पंचायत बेरावास के सरपंच के द्वारा जारी प्रमाण पत्र से प्रथम दृष्ट्या तौर पर विवादित भू-भाग पर प्रार्थी का मकान पुराना बना होना एवं प्रार्थी का इसमें निवास करना जाहिर हुआ है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह तर्क भी दिया कि विवादित भू-भाग के आस-पास प्रार्थी के अतिरिक्त कई अन्य लोगों यथा पुनाराम, रामपाल, बंशीराम, हरसुखराम, परसाराम, अणदाराम, कंवराराम, भीकाराम के मकानात बने हुए हैं, जिनमें से अणदाराम के दादा भीकाराम के नाम वर्ष 1960 में ग्राम पंचायत खोडवा के द्वारा पट्टा भी जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट किया गया है कि खसरा नं. 86 की पहले की खतौनियों तथा पी-14 में भी प्रार्थी एवं अन्य लोगों के मकानात, बाड़े वगैरा का जिक्र आया है। इन स्थितियों में प्रार्थी समेत आस-पास का समस्त भू-भाग लंबे समय से आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने का तथ्य प्रथम दृष्ट्या तौर पर उजागर हुआ है तथा सरपंच के द्वारा जारी प्रमाण पत्र से प्रथम दृष्ट्या तौर पर यह भी जाहिर हुआ है कि ग्राम खोडवा में विवादित भू-भाग पर बना मकान ही प्रार्थी का एकमात्र मकान है तथा गांव में अन्य किसी स्थान पर प्रार्थी का कोई अन्य मकान नहीं है तथा प्रार्थी ग्राम खोडवा का स्थायी निवासी है। जहां तक विवादित भू-भाग के खसरा नं. 86 गैर मुमकीन गोचर अथवा खसरा नंबर 86/387, 86/390, गैर मुमकीन आबादी में स्थित होने का प्रश्न है, मात्र अप्रार्थीगण के द्वारा खसरा नं. 86 की खतौनी पेश कर दिये जाने से इस प्रश्न का निर्धारण कर देना संभव नहीं है तथा यह प्रश्न साक्ष्य का

मोहताज प्रश्न है जिसका निर्धारण मूल वाद में उभय पक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में न्यायालय के विनम्र मत में प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या तौर पर वादग्रस्त भू-भाग पर अपना पुराना एवं स्थापित कब्जा साबित करने में सफल रहता हुआ प्रतीत होता है जो तथ्य उसे अप्रार्थीगण के स्तर से किसी भी प्रकार के अवैधानिक हस्तक्षेप से अपने कब्जे की रक्षा करवाने का अधिकारी बनाता है।

12. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण विशेष की परिस्थितियों में जब तक इस बात का निर्धारण नहीं हो जाता कि वादग्रस्त भू-भाग आबादी का भू-भाग ना होकर गोचर का ही भू-भाग है तब तक न्यायालय के विनम्र मत में सुविधा का संतुलन इसी बात में निहित रहता हुआ प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को विवादित भू-भाग से बेदखल न करें अन्यथा प्रार्थी को ऐसी क्षति कारित हो सकती है जिसकी भरपाई संभवतः मुद्रा में ना हो पायें।

आदेश

13. उक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के द्वारा पेश हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी विरुद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त स्थल की स्थिति में तब तक किसी प्रकार का परिवर्तन न करे जब तक वे प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर वादग्रस्त जायदाद एवं आस-पास की समस्त गोचर भूमि का पक्षकारान् की उपस्थिति में नाप-चौप कर यह सुनिश्चित नहीं कर लेवे कि विवादित जायदाद खसरा नंबर 86 रकबा 45 बीघा 16 बिस्वा गैर मुमकीन गोचर में स्थित है तथा इस बाबत् सकारण कोई सक्षम आदेश पारित न कर देवे।

(विजय कोचर)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।

14. आदेश आज दिनांक 01.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कोचर)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।